न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 15/2024
दायर दिनांक : 09/05/2024
निर्णय दिनांक : 24/11/2025

उनवान

1 लाली उर्फ वाली पिता नाथू कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2 छगनी उर्फ पुष्पा पिता नाथू कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार, भूपालसागर
2 केशी बेंवा नाथु कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3 उदा पिता तलोक कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री पवन जयसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ0स0 6131 रकबा 0.33 है0 आ0न0 7079 रकबा 0.14 है0 आ0न0 7081 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 है0 स्थित है। प्रार्थीगण के पिता नाथू की मुत्यु के बाद विरासत से नामांतरण हम प्रार्थीगण के नाम खोला गया जिससे हम प्रार्थीगण के बचपन का घर में पुकारा जाने वाला नाम प्रार्थी संख्या 1 का वाली व प्रार्थी संख्या 2 का छगनी को दर्ज कर दिया जो हमारा उपनाम है। हमारा दस्तावेजी नाम संख्या 1 का नाम लाली व 2 का पुष्पा है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थीगण की हाल जमाबंदी, नगरपालिका आकोला का लैटर हैड आदि पहचान पत्र की प्रति संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 रेवेन्यु रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का वाली व 2 का छगनी रह जाने से हम प्रार्थीगण उक्त आराजियात के हिस्से को आबादान करने, राजकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहते है इसलिए सहखातेदारान के साथ प्रार्थी संख्या 1 का वाली व 2 का छगनी नाम को हटा प्रचलित नाम लाली व पुष्पा है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। उक्त अंकन शुद्ध किए जाने से किसी का नुकसान नही है। अप्रार्थी संख्या 1 रेवेन्यु रेकार्ड अधिकारी है जिसे दुरूस्ती हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया गया है बचे हुए सह खातेदार है जिन्हे कोई आपत्ति नही है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जवाब प्रस्तुत नही करने से इनका जवाब बंद किया गया। उभयपक्ष उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित। कोई आपत्ति नही होना दर्ज कराया गया। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ0स0 6131 रकबा 0.33 है0 आ0न0 7079 रकबा 0.14 है0 आ0न0 7081 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 है0 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम लाली के बजाय वाली व प्रार्थी संख्या 2 का नाम छगनी के बजाय पुष्पा खातेदार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर